माह जून के उत्तर मध्य रेलवे/रे0सु0ब0 प्रयागराज के चयनित अच्छे कार्य निम्नवत् हैः—

क0 सं0	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	प्रयागराज	**रे.सु.ब.पोस्ट—दादरी** दिनांक 08.06.2022 को मुख्यालय/प्रयागराज से प्राप्त 12 संदिग्ध यूजर आईडी की जांच के दौरान पोस्ट कमांडर दादरी के द्वारा विशेष एप के माध्यम से जांच पड़ताल करने पर रेलवे की ई—टिकटों का अवैध व्यापार करने वाले की पहचान की गई तथा पोस्ट कमांडर दादरी द्वारा बनायी गई टीम के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गांव छलेरा गली नं 04, सेक्टर 44 नोएडा गौतम बुध नगर में छापमारी की गयी जिसमें 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मु.अ.सं—132/2022 अंतर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—** मोहम्मद अबुलैश आलम, पुत्र मोहम्मद सदरुद्दीन अंसारी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम मोहिनी मण्डल, थाना सुप्पी जिला सीतामढ़ी बिहार हालपता ग्राम छलेरा गली नं 04, सेक्टर 44, नोएडा, थाना सेक्टर 39, गौतम बुध नगर। Use of illegal Software-Covid19 **प्राप्त पर्सनल आईडी— 265** अभियुक्त के पास से भविष्य की 02 टिकट बरामद हुई जिसकी कीमत 4711.10 रुपए तथा भूतकाल की 25 टिकटें बरामद हुई। जिसकी कीमत 36929.30/— रुपए है। अभियुक्त के मकान से छापेमारी के दौरान मौके से लैपटॉप HP कंपनी, एक मोबाइल vivo y72, 200/—नगद जब्त किया गया।	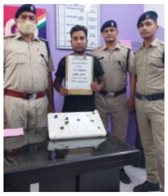
2.	प्रयागराज	**रे0सु0ब0 पोस्ट— प्रयागराज** दिनांक 09.06.2022 को संयुक्त रुप से अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रेलवे स्टेशन प्रयागराज के प्लेटफार्म सं. 7/8 के पूर्वी किनारे पर दो आरोपियों को चोरी के मोबाइल बेचने की योजना बनाते हुये 02 अदद चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा यात्रियों के मोबाईल की चोरी किया जाना स्वीकार किया गया। **आरोपियों का नाम पता—** 1. दीपक सोनी पुत्र बीरेंद्र सोनी उम्र 22 वर्ष पता आर्य नगर आस्था हॉस्पिटल के पीछे थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र। 2. पृथ्वीपाल यादव उर्फ नंदू पुत्र सूर्य प्रसाद यादव पता लंकंअ बस्ती खानपुर थाना—हंडिया, जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश उम्र 27 वर्ष। उक्त दोनों के पास से दो अदद चोरी के मोबाइल एवं नगद रुपए 1200/ रूपये बरामद हुआ। **गिरफ्तार करने वाली टीम—** उपनिरीक्षक सुधीर कुमार रे.सु.ब. पोस्ट प्रयागराज उपनिरीक्षक अजित कुमार शुक्ला जीआरपी प्रयागराज। सहायक उपनिरीक्षक उमेश कुमार सरोज आरक्षक रमेश राम आरक्षक सोनू यादव, आरक्षक संतोष कुमार यादव, **मुकदमा अपराध संख्या व बरामदगी का विवरण—** 01. मु.अ.सं 172/22 धारा 379/411 ipc 02. मु.अ.सं 60/22 धारा 380/411 ipc 03. मु.अ.सं 91/22 धारा 379/411 ipc, कुल बरामदगी 41200/— उपरोक्त दोनों के विरुद्ध जीआरपी, प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 172/22 अंतर्गत धारा 379 एवं 411 आईपीसी पंजीकृत किया गया।	
3.	झांसी	**रे0सु0ब0 पोस्ट—वीरांगना लक्ष्मीबाई** दिनांक 02.06.2022 रे.सु.ब. पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी व डिटेक्टिव विंग झांसी निरीक्षक शिप्रा के नेतृत्व में रे.सु.ब. पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झाँसी, डिटेक्टिव विंग टीम झांसी व जीआरपी झांसी द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर निरीक्षक आर.के. कौशिक द्वारा गांजा तस्कर को 04 बैगों में कुल 45. 970 किग्रा अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त का विवरण—**	

		01. राजीव मांझी पुत्र संतोष मांझी, उम्र–19 वर्ष, निवासी बैद घर की हवेली, भांडेर रोड, थाना देहात, जिला दतिया (म0प्र0) 02. मनीष रैकवार पुत्र भागीरथ उम्र–करीबन 20 वर्ष, निवासी बैद घर की हवेली, भांडेर रोड, थाना देहात, जिला दतिया (म0प्र0) **बरामदगीः**– 45.970 किग्रा गांजा कीमत लगभग 6,89,550/– रुपये। **कृत कार्यवाही–** आरोपियों के विरुद्ध थाना जीआरपी झांसी में क्रमशः मु0अ0सं0 320/2022 व 321/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार करने वाली टीमः–** रे.सु.ब. पोस्ट–वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, झाँसी 01.उ0नि0 हरिओम सिंह सिकरवार 02.आर. विजय शर्मा 03.आर. सुरेन्द्र सिंह विष्ट **डिटेक्टिव विंग झांसी** 01.प्र0आ0 विजय बहादुर राम 02.प्र0आ0 उमेश कुमार **जीआरपी झांसी** 01.उ0नि0 मुकेश कुमार 02.प्र.आर. माजिद खॉन 03.आर. मुकेश कुमार	
4.	झांसी	**रे0सु0ब0 पोस्ट ग्वालियर** दिनांक 01.06.2022 को ट्रेन न. 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस में झाँसी– ग्वालियर के मध्य चेकिंग अभियान के दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पहले गाड़ी सिग्नल पर रुकने पर B–3 कोच से दो व्यक्ति (महिला व पुरूष) मय बैगों के गाड़ी से उतर कर सिथौली की तरफ जाने लगे। पुलिस थाना झांसी रोड़ SHO से समन्वय स्थापित करते हुए रेल सुरक्षा बल व स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त दो नफर संदिग्धों को किमी. 1220/15 के पास पकड़ा गया जिनके पास 30 किलो गांजा मिला जिसके संबंध में संदिग्धों ने बताया कि वे पालसा रेलवे स्टेशन आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली गांजा ले कर जा रहे थे। **गिरफ्तार करने वाली टीम–** **रे.सु.ब टीम–** 1. उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत, CPD टीम 2. प्र.आ. अनिल कुमार सिंह GWL पोस्ट 3. प्र.आ. दीपेंद्र सिंह भदौरिया CPDT 4. आ. दीपक कुमार, DW/GWL 5. आ. राजकुमार तोमर CPDT 6. आ. षकील खान CPDT 7. आ. बी.सी.अनुरागी CPDT **अभियुक्त का विवरण–** 1. श्रीहरि लीमा पुत्र बुड्डु लिमा उम्र 22 वर्ष निवासी खंडवा अरमाडा, काशी नगरा गजपति ओडिसा 2. पंचमी कडरता पुत्री रवि रायता उम्र 31 वर्ष निवासी गुनूपुर, रायगड़ा, ओडिसा **जब्त सामग्री–** 30 किलो कुल कीमत लगभग रु 4,50,000/– (चार लाख पचास हजार रुपये) **कृत कार्यवाही–** अभियुक्तों को झाँसी रोड पुलिस थाने में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।	
5.	आगरा	**02.रे0सु0ब0 पोस्ट– आगरा छावनी** दिनांक 11.06.2022 उपनिरीक्षक सुरेश चौधरी, आरक्षक प्रमोद कुमार, म.आ.रमा यादव आरक्षक नदीम खान सीपीडीएस एवं उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह जी.आर.पी. आगरा हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह, हेड कांस्टेबल प्रवीन कुमार उग्रवीर व कॉन्स्टेबल साजिद सिद्दीकी मय स्टाफ के अपराधिक रोकथाम व गस्त में मामूर व चेकिंग के दौरान आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 पर स्वचालित सीढ़ियों से नीचे सीढ़ियों के सामने दो पुरुष व 2 महिलाएं सूटकेस व बैगो को लिये सीढ़ियों के पास से आते हुए मिले जिनको रोककर पूछताछ करने पर महिला व पुरुषो को हाथों में लिए बैगो व ट्रॉली बैगो चेक करने पर गांजा मिला। पकड़े गए दोनो पुरुषों के पास से बैगों में 07 बंडल पीली टेप से लिपटे	

		हुए जिनका कुल वजन 31.00 किग्रा. पाया गया तथा दोनो महिलाओं के पास से कुल 14.750 किग्रा गांजा मिला। दोनों पुरुष व दोनों महिलाओं के बैगो में मिले गांजे का कुल वजन 45.750 किग्रा गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उप निरीक्षक जी.आर.पी. आगरा द्वारा मौके की कार्यवाही व गिरफ्तारी अमल में लाई गई। **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–** (1) लोकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रविंद्र कुमार उम्र 31 वर्ष, निवासी मकान नंबर 168 बॉम्बे आवास थाना सुपेला जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ (2) पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह उम्र 24वर्ष, निवासी गली नंबर 3 शांति नगर बोदला थाना जगदीशपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश (3) श्रीमती निशा पत्नी लोकेश कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी मकान नंबर 168 बॉम्बे आवास थाना सुपेला जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ (4) श्रीमती विलकिस बेगम पत्नी बुल्ला खान उम्र 51वर्ष निवासी मकान नंबर 153 बॉम्बे आवास थाना सुपेला जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ **पंजीकृत अभियोग का विवरण–** (1) मु0अ0सं0 132/2022 धारा 8/20 (एनडीपीएसएक्ट) (2) मु0अ0सं0 133/2022 धारा– 8/20 (एनडीपीएसएक्ट) (3) मु0अ0सं0 134/2022 धारा– 8/20 (एनडीपीएसएक्ट) (4) मु0अ0सं0 135/2022 धारा– 8/20 (एनडीपीएसएक्ट) जीआरपी/आगरा द्वारा पंजीकृत किया गया। बरामद गांजा– 45.750 किग्रा0 अनुमानित कीमत 5,49,000/– रुपये।	